

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

137-2021/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 21, 2021 (SRAVANA 30, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st August, 2021

No. 27-HLA of 2021/73/21632.— The Haryana Parivar Pehchan Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 27- HLA of 2021

THE HARYANA PARIVAR PEHCHAN BILL, 2021

A

BILL

to provide for the assignment of the Parivar Pehchan number as an unique identifier number to each family, linked to information composed of such data fields, as are generally required for the determination of eligibility for, or the provision of, any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or by any Government agency or local authority and for establishment of the Haryana Parivar Pehchan Authority for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force on such date or dates, as the State Government may, by notification, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any provision of this Act to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.
- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

Definitions.

(a) "authentication" means the process by which the Parivar Pehchan number alongwith related information is submitted to the Family Information Data Repository for its verification or authentication and such Repository verifies the correctness or the lack thereof, through the process specified in section 4, and the expression "authenticated" with its cognate meanings and grammatical variations shall be construed accordingly;

- (b) "Authority" means the Haryana Parivar Pehchan Authority established under section 10:
- (c) "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or a family by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority and includes such other benefits, as may be notified by the State Government, from time to time;
- (d) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Authority appointed under sub-section (1) of section 15;
- (e) "communication" means a message sent on the mobile number of the head of family and an adult member of the family, as the case may be, and if a mobile number is not provided, then by registered post on the address provided alongwith the information under section 3;
- (f) "Deputy Chairperson" means the Deputy Chairperson of the Authority appointed under sub-section (1) of section 12;
- (g) "designated portal" means such web portal of the Authority, as may be notified by the Authority;
- (h) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under section 17;
- (i) "Family Information Data Repository" means a centralised database in one or more locations containing all Parivar Pehchan numbers issued to Parivar Pehchan number holders alongwith the corresponding information related thereto;
- (j) "Fund" means the Fund constituted under section 24 of the Act;
- (k) "Government agency" means any company or organization owned or controlled by the State Government and includes a board or statutory body or authority established by or under any State law;
- (1) "information" in respect of a family, includes information of all members of the family and such data fields for the purposes of determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority;
- (m) "local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee, Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be;
- (n) "member" means the members of the Authority including the Chairperson;
- (o) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notified" with its cognate meanings and grammatical variations shall be construed accordingly;
- (p) "Parivar Pehchan number" means the family identification number issued under section 5;
- (q) "Parivar Pehchan number holder" means a family including its members thereof who have been issued a Parivar Pehchan number under this Act;
- (r) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (s) "regulations" means the regulations made by the Authority under this Act;
- (t) "resident" means an individual or a family who is residing in the territorial limits of the State of Haryana and includes an employee of the State Government, Government agency or local authority who resides outside the State of Haryana or who has been deputed by the State Government, Government agency or local authority outside the State of Haryana;
- (u) "services" means any provision, facility, utility or any other assistance provided or implemented in any form by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority to an individual or a family and includes such other services, as may be notified by the State Government, from time to time;
- (v) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

- (w) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation in cash or kind to an individual or a family and includes such other subsidies provided, wholly or partly out of the Consolidated Fund of the State of Haryana.
- **3.** (1) Every family, being a resident of the State of Haryana shall be entitled to obtain a Parivar Pehchan number by providing, submitting or updating on the designated portal, information comprised of such data fields, as may be notified by the Authority with the prior approval of the State Government, for determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority.

Entitlement to obtain Parivar Pehchan number.

- (2) For the purposes of sub-section (1), any adult member of the family may provide, submit or update the information of the family.
- **4.** (1) After the receipt of the information under section 3, the Authority shall verify each data field of the information through physical means in such manner, as may be notified by the Authority or through electronic means by integration or comparison with any data held by or on behalf of the State Government or Government agency or local authority or in case the data is held by or on behalf of the Central Government, with the prior approval of the Central Government.

Verification of information.

- (2) On verification of each data field under sub-section (1), the Authority shall tag in the Parivar Pehchan number database, each such data field that is consistent on verification with the information provided, submitted or updated under section 3 as "verified" and such data fields that are inconsistent on verification with the information so provided, submitted or updated under section 3 as "not verified".
- (3) Each data field that is marked with the tag of "not verified" shall be communicated to the head of the family and the adult member to whom the information relates for correction or further updation or submission of any document issued by any competent authority of State Government or local authority vested with the powers by or under law to issue such document or record, supporting the information provided, submitted or updated by him under section 3.
- (4) The Authority shall proceed to verify, in the manner notified under sub-section (1), the information corrected or further updated or the document submitted under sub-section (3) and shall act as provided in sub-section (2).
- **5.** (1) The Parivar Pehchan number issued to a family shall be unique and shall not be reassigned to any other family.

Parivar Pehchan number.

- (2) The Parivar Pehchan number shall be a random set of alpha-numeric characters following such pattern, as notified by the Authority and shall bear no relation to the attributes of or information provided by the family under section 3.
- **6.** (1) The information provided, updated, submitted or corrected by every family under section 3 alongwith the status of verification or authentication carried out by the Authority under section 4 shall constitute the Family Information Data Repository.

Family
Information Data
Repository.

- (2) The information of a family in the Family Information Data Repository which is verified or authenticated under section 4 may be accepted, subject to such other conditions, as may be specified by the Authority as conclusive proof for the purpose of determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority without any additional documentation or proof.
- 7. The Authority may, by notification, require the Parivar Pehchan number holders to update or correct the information, from time to time, so as to ensure continued accuracy and reliability of the information in the Family Information Data Repository.

Requirement to update or correct information.

8. The State Government, on the recommendation of the Authority, may, by notification, direct that the Parivar Pehchan number with such data fields, as may be specified in the notification and verified in the manner indicated in section 4, as a requirement for determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority:

Requirement of Parivar Pehchan number.

Provided that if the applicant for any scheme, benefit, subsidy or service does not possess the Parivar Pehchan number and is otherwise eligible to receive such scheme, benefit, subsidy or service then the State Government may direct that the data provided by such beneficiary to receive such scheme, subsidy, service or benefit be verified or authenticated by such alternate means, as may be prescribed and such means may, if the State Government so directs, include the payment of an additional fee by such applicant for authentication or verification of the data so provided.

Responsibility of maintaining data of birth, death and marriage.

- **9.** (1) For the purpose of dynamically updating information held in the Family Information Data Repository, the State Government shall, by notification, entrust the Authority with the responsibility of maintaining the data of birth, death and marriage registered under any law for the time being in force in an electronic form and the Authority shall be responsible for establishing and maintaining such data linked to the Parivar Pehchan number.
- (2) For the purpose of sub-section (1), the State Government may issue such directions, as it deems fit to the Chief Registrar under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Central Act 18 of 1969) and to the Chief Registrar under the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008 (6 of 2008).

Establishment of Haryana Parivar Pehchan Authority.

- 10. (1) The State Government shall, by notification and with effect from such date, as may be specified in the notification, establish, for the purposes of this Act, an Authority to be called the Haryana Parivar Pehchan Authority.
- (2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose off property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name sue or be sued.
- (3) The Authority shall have its headquarters at such place, as the State Government may notify.
- (4) The Authority may establish its offices at other places in the State of Haryana, with the prior approval of the State Government.

Constitution of Authority.

- 11. The Authority shall consist of the following members, namely:-
 - (a) Chief Minister as Chairperson;
 - (b) Deputy Chairperson;
 - (c) Chief Secretary to Government, Haryana, ex officio;
 - (d) Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, as the case may be, Revenue and Disaster Management Department, ex officio;
 - (e) Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, as the case may be, Finance Department, ex officio;
 - (f) Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, as the case may be, Citizen Resources Information Department, ex officio;
 - (g) such officers of the State Government, not below the rank of Principal Secretary and not exceeding two, as the State Government may, nominate, from time to time, ex officio;
 - (h) such experts, not exceeding five, as the State Government may, from time to time and on the recommendations of the Authority, nominate from the field of information and communication technology, cyber security, network security, data analytics, data security, data management, data warehousing, privacy or constitutional law, finance and economics;
 - (i) Chief Executive Officer, member-secretary.

Qualifications, tenure and terms and conditions of Deputy Chairperson. 12. (1) The Deputy Chairperson shall be appointed by the State Government from amongst persons being distinguished experts in the field of information and communication technology with special knowledge or experience in information technology and management, big data analytics, cyber security, new technology areas in the field of information and communication technology with atleast twenty-five years of demonstrated experience in industry or government having headed an organisation as its Chief Executive or Chief Information Technology Officer or its equivalent.

- (2) The Deputy Chairperson shall hold office for a period of three years from the date he assumes office and shall be eligible for re-appointment for one more term.
- (3) The Deputy Chairperson may resign from his office, in writing, under his hand to the State Government, after giving a notice of not less than thirty days.
- (4) The remuneration and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Deputy Chairperson shall be such, as may be prescribed.
- 13. (1) The members other than ex officio members shall receive such allowances for attending the meetings of the Authority, as may be prescribed.

Allowances to members.

- (2) Where a person becomes or is nominated as a member of the Authority by virtue of holding an office, he shall cease to be a member of the Authority as soon as he ceases to hold such office.
- (3) A member, other than an ex-officio member, may, at any time, in writing, under his hand addressed to the Chairperson, resign.
- 14. (1) The Authority shall meet at such time and place and subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), observe such rules of procedure for conduct of meeting and transaction of business, as may be prescribed.

Meetings of Authority.

- (2) The Chairperson or if for any reason, he is unable to attend the meeting, by any reason whatsoever, the Deputy Chairperson shall preside over the meeting.
- (3) All questions at a meeting shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in case of equality of votes, the Chairperson or the member presiding, as the case may be, shall have a second or casting vote.
- (4) The Chief Executive Officer shall maintain records of the meetings of the Authority in such manner, as may be prescribed.
- **15.** (1) The State Government shall appoint an officer not below the rank or equivalent to the rank of Secretary to Government, Haryana as the Chief Executive Officer.
- (2) The Chief Executive Officer shall receive such salary and allowances alongwith such other facilities, as may be, determined by the State Government, from time to time, out of the Fund of the Authority.

Appointment, terms and conditions of Chief Executive Officer.

- (3) Whenever the Chief Executive Officer is on leave or is unable to discharge his duties for whatsoever reason, the State Government may authorise any other officer to perform the duties and functions of the Chief Executive Officer till the Chief Executive Officer join his duties.
- **16.** (1) The Authority may appoint such other officers and employees of the Authority in such manner and with such qualifications, as may be prescribed.

Officers and other staff of Authority.

- (2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of officers and other employees of the Authority shall be such, as may be prescribed.
- (3) The Chief Executive Officer may appoint in such manner, for such temporary period and on such terms and conditions, as may be specified by regulations, such other staff, as he may consider necessary for the efficient performance of the functions of the Authority.
- 17. (1) There shall be an Executive Committee consisting of the following members, namely:-

there shall be an Executive Committee consisting of the following incliners, namely.

- (a) Deputy Chairperson;
- (b) Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, as the case may be, Citizen Resources Information Department, ex officio;
- (c) not more than two experts, amongst those nominated under clause (h) of section 11;
- (d) Chief Executive Officer.
- (2) All decisions of the Executive Committee shall have the same effect as if taken by the Authority under this Act.
- (3) Every decision of the Executive Committee shall be placed before the Authority and the Authority shall have the power to modify, amend or rescind such decision and shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done.

Constitution of Executive Committee.

Delegation of powers.

- 18. The Authority may delegate any of its powers to an Executive Committee, except the power,-
 - (a) to approve or amend the budget of the Authority under section 28;
 - (b) to make, amend or repeal any regulation under section 46.

General superintendence, direction and management of affairs of Authority.

- 19. (1) Subject to the other provisions of this Act and rules made thereunder, the general superintendence, direction, management and administrative control over the affairs of the Authority shall vest in the Chief Executive Officer.
- (2) The Chief Executive Officer may, by a general or special order in writing, delegate such of his powers subject to such terms and conditions, as he may determine, upon any officer of the Authority:

Provided that each such order of delegation and the terms and conditions of such delegation shall be placed before the Authority.

Power to engage experts and professionals.

20. The Chief Executive Officer may engage such consultants, advisors or technology professionals, as may be required for efficient discharge of its powers and functions under this Act, on such allowances or remuneration and on such terms and conditions, as may be specified by regulations.

Vacancies etc., not to invalidate proceedings.

- 21. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of-
 - (a) any vacancy in or any defect in the constitution of the Authority;
 - (b) any defect in the appointment of a person as Deputy Chairperson or member; or
 - (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

Avoidance of conflict of interest.

22. A member of the Authority having any direct or indirect interest, whether pecuniary or otherwise, in any matter coming up for consideration at a meeting of the Authority, shall disclose the nature of his interest at such meeting and shall not take any part in any deliberation or decision of the Authority with respect to that matter.

Powers and functions of Authority.

- **23.** (1) The Authority shall develop the policy, procedure, technology and systems for generating and issuing Parivar Pehchan number to families.
- (2) The Authority shall have the power to collect, update, manage and maintain information of the family and its members in the form of specified data fields and develop and implement mechanisms, processes and systems for authenticating or verifying such information.
- (3) Where a notification under section 8 is issued by the State Government, the Authority shall have the power to direct the Government department concerned or Government agency or local authority to define procedures, technology and data standards to enable the integration of the database maintained and held by the Authority with that of the department or agency of the State Government providing such benefit, subsidy, scheme or service.
- (4) The Authority shall provide authentication or verification to any Government department or Government agency or local authority in respect of the information collected or held by it for the purpose of any benefit, subsidy, scheme or service and levy such fee, as may be prescribed.
- (5) The Authority shall have the power to specify the manner, data standards, technology systems and related processes for use of Parivar Pehchan number and the information contained in the Family Information Data Repository for the purpose of determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority and other purposes for which the Parivar Pehchan number may be used.
- (6) The Authority shall be required to prepare, develop and maintain the policy for data security, information security, technology safeguards and network security protocols and standards in relation to the Family Information Data Repository held by it.
- (7) The Authority shall ensure integration and updation of the Family Information Data Repository with data on births, deaths and marriages maintained by the competent authorities under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Central Act 18 of 1969) and the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008 (6 of 2008).

- (8) The Authority shall, on the direction of the State Government, ensure integration and updation of the Family Information Data Repository with land records maintained by the State Government in the concerned department responsible for maintaining such land records and property records maintained by any local authority.
- (9) The Authority shall support the State Government or local authority by providing data analytics in relation to the information held by it so as to enable the State Government or local authority to formulate and implement policies, schemes, services, benefits or subsidies for the welfare of the people of the State of Haryana.
- (10) Without prejudice to the powers and functions enumerated in the foregoing sub-section of this section, the powers and functions of the Authority, inter alia, include -
 - (a) specifying, with the prior approval of the State Government, information required to be maintained in the Family Information Data Repository;
 - (b) collecting information from any family seeking a Parivar Pehchan number;
 - (c) generating and assigning Parivar Pehchan number to families;
 - (d) performing verification and authentication of information in the Family Information Data Repository;
 - (e) maintaining and updating the information in the Family Information Data Repository;
 - (f) deactivating the Parivar Pehchan number and information relating thereto in such cases and in such manner, as may be specified by regulations;
 - (g) specifying the manner of use of Parivar Pehchan numbers for the purposes of determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority and other purposes for which Parivar Pehchan numbers may be used;
 - (h) establishing, operating and maintaining the Family Information Data Repository;
 - (i) sharing the information of Parivar Pehchan number holders and information contained in the Family Information Data Repository for the purposes of determining eligibility for or the provision of any scheme, service, subsidy or benefit provided or implemented by or on behalf of the State Government or any Government agency or local authority, subject to the provisions of this Act, rules and regulations made thereunder;
 - (j) specifying by regulations, processes relating to data management, data security, information security, security protocols and other technology safeguards under this Act;
 - (k) specifying by regulations, the conditions and procedures for issuance of new Parivar Pehchan number to existing Parivar Pehchan number holder;
 - (l) appointing such committees, as may be necessary to assist the Authority in discharge of its functions for the purposes of this Act with the prior approval of the State Government;
 - (m) setting up grievance redressal mechanism for redressal of grievances;
 - (n) such other powers and functions, as may be prescribed.
- (11) The State Government may, by notification, extend the use of the Parivar Pehchan number alongwith verification or authentication of information to schemes wholly funded or services wholly provided by the Central Government on the request of or with the prior approval of such Government.

Fund.

- **24.** (1) There shall be constituted a Fund to be called the Haryana Parivar Pehchan Authority Fund and there shall be credited thereto-
 - (a) all grants, fees and charges received by the Authority under this Act; and
 - (b) all sums received by the Authority from such other sources, as may be decided by the State Government.
 - (2) The Fund shall be used for-
 - (a) the remuneration and other allowances payable to the Deputy Chairperson and the members, the salary and other allowances payable to the Chief Executive Officer and the administrative expenses including the salaries, allowances and pension payable to or in respect of officers and other employees of the Authority; and
 - (b) the expenses incurred for meeting out the objects and purposes authorised by this Act.

Annual grants, loans and advances.

25. The State Government may make to the Authority grants, loans or advances of such sums of money annually, on such terms and conditions, as it may deem fit.

Power to borrow.

26. The Authority may, from time to time, borrow money by way of loans, bonds or debentures or other instruments from sources other than the State Government, on such terms and conditions, general or specific, as may be approved by the State Government.

Power to invest.

27. The Authority shall have power to invest any portion of its Fund in such investments, as may be determined by the Chief Executive Officer.

Budget.

- **28.** (1) The Chief Executive Officer shall submit a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditures of the Authority in such form, as may be prescribed.
- (2) The Authority shall, subject to such modifications and revisions, as it may decide, approve the budget submitted under sub-section (1).
- (3) The budget, as modified or revised by the Authority, shall be forwarded to the State Government alongwith such number of authenticated copies, as may be required by the State Government.
- (4) The Chief Executive Officer shall cause the budget, as modified or revised by the Authority, to be placed on the website of the Authority.

Accounts and audit.

- **29.** (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet, in such form, as may be prescribed.
- (2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Accountant General of Haryana and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Accountant General of Haryana.
- (3) The Accountant General of Haryana and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General of Haryana has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, other documents and papers and to inspect the office of the Authority.
- (4) The accounts of the Authority as certified by the Accountant General of Haryana or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and an explanatory memorandum on the action so taken or proposed to be taken, shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause a copy of the same to be laid before the State Legislature.
- (5) The Chief Executive Officer shall cause the accounts of the Authority together with the audit report and the explanatory memorandum, to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the State Legislature.

30. The Chief Executive Officer shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form, as may be prescribed and the State Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.

Annual report.

- **31.** (1) The Authority shall ensure the security of data maintained by it.
- (2) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall ensure confidentiality of data of families maintained by it.

Security and confidentiality of information.

- (3) The Authority shall take all necessary measures to ensure that the data in the possession or control of the Authority, including information stored in the Family Information Data Repository is secured and protected against unauthorised access, use or disclosure and against accidental or intentional destruction, loss or damage.
 - (4) Without prejudice to sub-sections (1) and (2), the Authority shall-
 - (a) adopt and implement appropriate technical and organisational security measures:
 - (b) ensure that any person appointed or engaged for performing any function of the Authority under this Act or rules or regulations made thereunder follows appropriate technical and organisational security measures;
 - (c) ensure that the agreements or arrangements entered into with any person impose obligations equivalent to those imposed on the Authority under this Act and require such person to act only on instructions from the Authority or powers delegated by or on behalf of the Authority.
- (5) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force and save as otherwise provided by or under this Act, no officer or other employee of the Authority shall, whether during his service or thereafter, reveal any data stored in the Family Information Data Repository or authentication record to anyone except for the purposes of planning or evaluation by the State Government or for the purpose of determining eligibility for or the provision of any subsidy, scheme, service or benefit.
- (6) The information collected, verified or authenticated by the Authority in the Family Information Data Repository or created under this Act shall be shared only in such manner, as may be specified by regulations.
- (7) No information of a family collected, verified or authenticated by the Authority in the Family Information Data Repository or created under this Act shall be published, displayed or posted publicly, except for the purposes, as may be specified by regulations.
- **32.** Whoever impersonates or attempts to impersonate another person, whether dead or alive, real or imaginary by providing any false information knowingly, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with a fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Penalty for impersonation.

33. Whoever, with the intention of causing harm or mischief to a Parivar Pehchan number holder, changes or attempts to change any information of a Parivar Pehchan number holder by impersonating or attempting to impersonate another person, dead or alive, real or imaginary, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to a fine which may extend to fifty thousand rupees.

Penalty for impersonation of Parivar Pehchan number holder by changing information.

34. Whoever, not being authorised to collect information under the provisions of this Act, by words, conduct or demeanour pretends that he is authorised to do so, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with a fine which may extend to one lakh rupees or, in the case of a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, with imprisonment for a term which may extend to three years with a fine which may extend to ten lakh rupees or with both.

Penalty for impersonation claiming authority to collect information.

- **35.** Whoever, not being authorised by the Authority, intentionally,-
 - (a) accesses or secures access to the Family Information Data Repository;
 - (b) downloads, copies or extracts any data from the Family Information Data Repository or stored in any removable storage medium;

Penalty for unauthorized access.

- introduces or causes to be introduced any virus or other computer contaminant in the Family Information Data Repository;
- (d) damages or causes to be damaged the data in the Family Information Data Repository;
- (e) disrupts or causes disruption of the access to the Family Information Data Repository;
- (f) denies or causes a denial of access to any person who is authorised to access the Family Information Data Repository;
- (g) reveals any information in contravention of sub-section (5) of section 31, or shares, uses or displays information in contravention of sub-section (7) of section 31 or assists any person in any of the aforementioned acts;
- (h) destroys, deletes or alters any information stored in any removable storage media or in the Family Information Data Repository or diminishes its value or utility or affects it injuriously by any means; or
- (i) steals, conceals, destroys or alters or causes any person to steal, conceal, destroy or alter any computer source code used by the Authority with an intention to cause damage, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years and shall also be liable to a fine which shall not be less than fifty lakh rupees.

Explanation.- For the purposes of this section, the expressions "computer contaminant", "computer virus" and "damage" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to section 43 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000), and the expression "computer source code" shall have the meaning assigned to it in the Explanation to section 65 of the said Act.

Penalty for tampering data.

36. Whoever, not being authorised by the Authority, uses or tampers the data in the Family Information Data Repository or in any removable storage medium with the intent of modifying information or discovering any information thereof, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to a fine which may extend to ten thousand rupees.

General penalty.

37. Whoever commits an offence under this Act or any rules or regulations made thereunder for which no specific penalty is provided, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with a fine which may extend to one lakh rupees or in the case of a company, with a fine which may extend to fifty lakh rupees or with both.

Offences by companies.

38. Where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Penalties not to interfere with other punishments.

39. No penalty imposed under this Act shall prevent the imposition of any other penalty or punishment under any other law for the time being in force.

Cognizance of offences.

40. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, save on a complaint made by the Authority or any officer or person authorised by it.

Public servants.

41. The Chairperson, members, officers and other employees of the Authority, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Power of State Government to issue directions.

42. (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in exercise of its powers or performance of its functions under this Act be bound by such directions on questions of policy, as the State Government may give in writing to it, from time to time:

Provided that the Authority shall, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section:

Provided further that nothing in this section shall empower the State Government to issue directions pertaining to technical or administrative matters undertaken by the Authority.

- (2) The decision of the State Government, whether a question is one of policy or not, shall be final.
- **43.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act, rules or regulations made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

44. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Application of other laws not barred.

45. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make rules.

- (2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature.
- **46.** (1) The Authority may, by notification, make regulations consistent with this Act for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations.

- (2) Every regulation made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature.
- 47. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing such difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.
- **48.** Anything done or any action taken under the Haryana Government, Citizen Resources Information Department, notification number 1/30/2020-1CRID, dated the 9th November, 2020, shall be deemed to have been validly done or taken under this Act.

Savings.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- The identification of beneficiaries and recipients for delivery of benefits, subsidies, schemes and services has been a challenge for the State Government. Ineligible beneficiaries are often recipients of Government support targeted at various segments of society while otherwise eligible beneficiaries are overlooked. While Aadhaar has helped in establishing the identity of beneficiaries, it has not helped in the proper and correct determination of eligibility of beneficiaries for delivery of benefits, subsidies, schemes and services or in the provision of services. The problem is compounded because each scheme, subsidy, benefit or service comes with its own set of eligibility conditions that can differ from each other substantially. Targeting of beneficiaries is also affected because each scheme, subsidy, benefit or service specifies threshold eligibility and considers all beneficiaries within the threshold equally whereas the true object of Antodyay i.e to reach the poorest of the poor, would require micro-level targeting aiming at the most needy even within the threshold levels of eligibility. Further each Department of Government or each Government agency or local authority creates its own database and there are substantial inconsistencies in the data maintained separately that leads to complications in delivery of benefits, subsidies, schemes and services. Each scheme or service of each Department of Government or each Government agency or local authority seeks documentation or proof to substantiate the eligibility conditions placing a burden on the beneficiary or recipient. In the absence of a credible and authenticated system to identity beneficiaries or recipients, it is difficult to ensure that the subsidies, benefits and services reach to targetedor intended or truly eligible beneficiaries.
- (2) With the advancements in technology, it has become possible to use the power of digital technology to promote good governance specifically aimed at the proper determination of eligibility of beneficiaries for delivery of benefits, subsidies, schemes and services or in the provision of services to citizens. The maxim of "Minimum Government, Maximum Governance" can also be aimed by creating an authenticated metadata of information generally used for the delivery of schemes, subsidies, benefits and services. Transparency and ease of living through good governance can be promoted by a unified system of data sharing across Government reducing the need for documentation, harassment and delay in delivery of any scheme, subsidy, benefit or service.
- (3) Parivar Pehchan number is a unique identifier for each family composed of a unique set of alpha-numeric characters with attached information composed of such data fields as is generally required for the identification of beneficiaries or determination of eligibility or provision of any scheme, service, benefit or subsidy offered or funded, in whole or in part, by the State Government or any organisation owned and controlled by the State Government or any local authority. The information attached with the Parivar Pehchan number will be provided voluntarily by the head of the family or any adult member of the family. Each data field attached with the Parivar Pehchan number will be authenticated and verified through electronic means by checking with other available accurate and reliable databases or by physical verification where it is not possible to authenticate it through electronic means. Once authenticated and verified, the data field and information can automatically form the basis for identification of beneficiaries or determination of eligibility or provision of any scheme, service, benefit or subsidy without the need for any further documentation or proof. The Parivar Pehchan number will be the reference key for linking all databases of the State Government, Government agency or local authority.
- (4) The Parivar Pehchan Authority is proposed to be established for development of the policy, procedure, technology and systems for generating and issuing or Parivar Pehchan number to families residing in the State. The Authority shall collect, update, manage and maintain information of the family and its members in the form of specified data fields in the Family Information Data Repository and develop and implement mechanisms, processes and systems for authenticating or verifying such information. It shall provide verified and authenticated data based on the Parivar Pehchan number to all Government Departments, Government agencies and local authorities for identification of beneficiaries or determination of eligibility or provision of any scheme, service, benefit or subsidy. It shall also maintain the security and confidentiality of data and information held by it in the Family Information Data Repository.
- (5) Parivar Pehchan identifier can enable the proactive delivery without the beneficiary or recipient having to visit any Government office. It will minimise the burden on production of documents and enable faceless and nameless anytime and anywhere delivery of schemes, services, subsidies and benefits promoting the slogan of "Minimum Government Maximum Governance". The transparency and simplification of processes would reduce corruption prevalent in identification of beneficiaries and determination of eligibility in schemes, subsidies, services and benefits.
- (6) The Parivar Pehchan Bill, 2021, *inter alia*, seeks to
 - a) entitle a family to obtain Parivar Pehchan by providing information composed of specified data fields;
 - b) specify the process for verifying or authenticating each data field in the information and take consequential action thereof;
 - c) require Parivar Pehchan number to be provided for determining the eligibility for, or the provision of, any benefit, subsidy, scheme or service provided by or on behalf of the State Government or any organisation owned and controlled by the State Government and by any local authority.

- d) provide verification of authentication of the information linked to the Parivar Pehchan number to the State Government or any organisation owned and controlled by the State Government and by any local authority to enable such Government, organisation or local authority to provide the benefit, subsidy, scheme or service.
- e) establish the Family Information Data Repository consisting of the information provided and the status of verification or authentication thereof;
- f) establish the Parivar Pehchan Authority in pursuance of the objectives above and empowering the Authority to collect, update, correct, verify, authenticate and maintain the information in the Family Information Data Repository.
- g) mandate the Parivar Pehchan Authority to take appropriate measures for the security and confidentiality of the information in the Family Information Data Repository.
- h) specify offences and penalties for contravention of relevant statutory provisions.

Hence this Bill

MANOHAR LAL, Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: The 21st August, 2021. R. K. NANDAL, Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

- 1. Clause 44 of the Bill empowers the State Government to make, by notification, rules to carry out the provisions of the proposed legislation. These matters, inter alia, include: (a) the alternate means by which the data provided by an applicant who does not possess the Parivar Pehchan number and is otherwise eligible to receive such scheme, benefit, subsidy or service, is verified or authenticated under the proviso to clause (8); (b) the remuneration and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Deputy Chairperson under sub-clause (4) of clause 12; (c) the allowances that members, other than ex officio members, shall receive for attending the meetings of the Authority under sub-clause (1) of clause 13; (d) the times and places and rules of procedure for conduct of meetings and transaction of business of the Authority under sub-clause (1) of clause 14; (e) the manner in which records of the meetings of the Authority that shall be maintained by the Chief Executive Officer under sub-clause (4) of clause 14; (f) the manner and the qualifications for appointment of officers and other employees of the Authority under sub-clause (1) of clause 16; (g) the number of, the salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, officers and other employees of the Authority under sub-clause (2) of clause 16; (h) the fee to be levied on any State Government department or Government agency or local authority for authentication or verification by the Authority in respect of the information collected or held by it for the purpose of any benefit, subsidy, scheme or service under sub-clause (4) of clause 22; (i) the other powers and functions of the Authority under item (n) of sub-clause (11) of clause 22; (j) the form in which the Chief Executive Officer shall submit a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditures of the Authority under sub-clause (1) of clause 27; (k) the form of annual statement of accounts including the balance sheet to be prepared by Authority under sub-clause (1) of clause 28; (1) the form in which the Chief Executive Officer shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government under clause 29; (m) any other matter which is required to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be or may be made by rules.
- 2. Clause 45 of the Bill empowers the Parivar Pehchan Authority to make, by notification, regulations to carry out the provisions of the proposed legislation consistent with the provisions of the proposed legislation and the rules made thereunder.
- 3. Sub-clause (2) of clause 44 and clause 46 provides that every rule and every regulation made under the proposed legislation respectively shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.
- 4. The matters in respect of which rules and regulations may be made are matter of procedure or administrative detail and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative power is therefore of a normal character.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 27-एच0एल0ए0

हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021
हरियाणा सरकार अथवा उसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय
प्राधिकरण द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ
के लिए पात्रता अवधारण के लिए, या के उपबन्ध हेतु, सामान्यताः
अपेक्षित ऐसे डाटा क्षेत्रों से सुव्यविधत सूचना से जुड़े हुए प्रत्येक
परिवार हेतु विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में परिवार पहचान
संख्या का आबंटन करने हेतु तथा परिवार पहचान प्राधिकरण
की स्थापना के प्रयोजनार्थ तथा इससे सम्बंधित तथा
इससे आनुषंगिक मामलों हेतु
उपबन्ध करने के लिए

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- (2) यह ऐसी तिथि अथवा तिथियों से लागू होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न—भिन्न उपबन्धों के लिए करने हेतु भिन्न—भिन्न तिथियां नियत कर सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में किसी संदर्भ का अर्थ उस उपबन्ध के लागू होने के संदर्भ में होगा।
- 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) ''अधिप्रमाणन'' से अभिप्राय है, ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा सम्बन्धित सूचना सहित परिवार पहचान संख्या के प्रमाणीकरण अथवा अधिप्रमाणन हेतु परिवार सूचना डाटा कोष में प्रस्तुत किया जाता है और धारा 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे कोष में दी गई सूचना अथवा उसमें कमी के सहीपन का सत्यापन, और ''अधिप्रमाणन'' अभिव्यक्ति तथा इसके सजातीय अर्थ तथा व्याकरण—सम्मत रूपान्तरण का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा:
- (ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 10 के अधीन स्थापित हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण;
- (ग) ''लाभ'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा अथवा इसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी वैयक्तिक अथवा किसी परिवार को नकद में या वस्तु के रूप में उपलब्ध करवाया गया कोई लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत अथवा भुगतान और इसमें ऐसा कोई अन्य लाभ भी शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;
- (घ) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 15 की उप—धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
- (ङ) ''संसूचना'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए परिवार के मुखिया अथवा परिवार के किसी वयस्क सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के मोबाइल नम्बर पर भेजा गया संदेश और यदि कोई मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं करवाया गया है, तो सूचना पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवाने हेतू पता;
- (च) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्राय है, धारा 12 की उप—धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष ;
- (छ) ''अभिहित पोर्टल'' से अभिप्राय है, प्राधिकरण का ऐसा वैब पोर्टल, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाए;

- (ज) "कार्यकारी समिति" से अभिप्राय है, धारा 17 के अधीन गठित कार्यकारी समिति ;
- (झ) "परिवार सूचना डाटा कोष" से अभिप्राय है, परिवार पहचान संख्या धारकों को जारी किए गए सभी परिवार पहचान संख्याओं में दी गई एक अथवा एक से अधिक अवस्थिति में केन्द्रीकृत डाटाबेस और इसमें इससे संबंधित सूचना भी शामिल है;
- (ञ) "निधि" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित निधि ;
- (ट) "सरकारी अभिकरण" से अभिप्राय है, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई कम्पनी अथवा संगठन और इसमें किसी राज्य विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई बोर्ड या वैधानिक प्राधिकरण भी शामिल है;
- (ठ) परिवार के सम्बन्ध में, ''सूचना" में शामिल हैं, राज्य सरकार या इसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित कोई स्कीम, सेवा, सब्सिडी अथवा लाभ के लिए पात्रता के अवधारण, अथवा के उपबन्ध के प्रयोजनार्थ परिवार के सभी सदस्यों की सूचना तथा ऐसे डाटा क्षेत्र;
- (ड) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय है, नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो;
- (ढ) "सदस्य" में शामिल हैं, अध्यक्ष सहित प्राधिकरण के सदस्य;
- (ण) ''अधिसूचना'' से अभिप्राय है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा ''अधिसूचित'' अभिव्यक्ति तथा इसके सहजातीय अर्थ तथा व्याकरण—सम्मत रूपान्तरण का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (त) ''परिवार पहचान संख्या'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन जारी की गई परिवार पहचान संख्या;
- (थ) ''परिवार पहचान संख्या धारक'' से अभिप्राय है, कोई परिवार तथा इसके सदस्य, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन परिवार पहचान संख्या जारी की गई है;
- (द) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ध) ''विनियम'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम;
- (न) "निवासी" से अभिप्राय है, वैयक्तिक या कोई परिवार, जो हरियाणा राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में निवास कर रहा है तथा इसमें राज्य सरकार, सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण का कर्मचारी भी शामिल है, जो हरियाणा राज्य की सीमाओं से बाहर निवास कर रहा है अथवा जिसे राज्य सरकार, सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा हरियाणा राज्य की सीमाओं से बाहर नियुक्त किया गया है;
- (प) "सेवा" से अभिप्राय है, किसी वैयक्तिक या परिवार को राज्य सरकार अथवा इसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी रूप में उपलब्ध करवाई गई या कार्यान्वित कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता अथवा कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, अधिसूचित की जाएं;
- (फ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ब) "सब्सिडी" से अभिप्राय है, किसी वैयक्तिक या परिवार को नकद में अथवा वस्तु के रूप में दी गई किसी प्रकार की सहायता, मदद, अनुदान, आर्थिक सहायता अथवा वार्षिक वृत्ति और इसमें हरियाणा राज्य की संचित निधि में से पूर्णतः या भागतः उपबन्धित ऐसी अन्य सब्सिडियाँ भी शामिल है।
- परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु पात्रता।
- 3. (1) हरियाणा राज्य का निवासी होते हुए प्रत्येक परिवार, अभिहित पोर्टल पर ऐसे डाटा क्षेत्र की सुव्यवस्थित सूचना उपलब्ध करवाते हुए, प्रस्तुत करते हुए अथवा अपलोड करते हुए परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो राज्य सरकार या इसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता अवधारण अथवा उपबन्ध करने हेतु प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित की जाए।
- (2) उप—धारा (1) के प्रयोजनार्थ, परिवार का कोई वयस्क सदस्य, परिवार की सूचना उपलब्ध करवा सकता है, प्रस्तुत या अद्यतन कर सकता है।

4. (1) धारा 3 के अधीन सूचना की प्राप्ति के बाद, प्राधिकरण ऐसी रीति, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाए, में भौतिक साधनों या राज्य सरकार या सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या के निमित्त धारित किसी डाटा या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा या के निमित्त धारित है, तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से डाटा के एकीकरण या तुलना द्वारा इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से सूचना के प्रत्येक डाटा क्षेत्र का प्रमाणीकरण करेगा।

सूचना का प्रमाणीकरण।

- (2) उप—धारा (1) के अधीन प्रत्येक डाटा क्षेत्र के प्रमाणीकरण पर, प्राधिकरण, परिवार पहचान संख्या डाटाबेस में, प्रत्येक ऐसे डाटा क्षेत्र, जो धारा 3 के अधीन उपलब्ध, प्रस्तुत या अद्यतन की गई सूचना के साथ प्रमाणीकरण से संगत है जैसे ''प्रमाणित'' तथा ऐसे डाटा क्षेत्र, जो धारा 3 के अधीन इस प्रकार उपलब्ध, प्रस्तुत या अद्यतन की गई सूचना के साथ प्रमाणीकरण से असंगत है जैसे ''प्रमाणित नहीं है'' टैग की जाएगी।
- (3) प्रत्येक डाटा क्षेत्र, जो "प्रमाणित नहीं है" के टैग के साथ चिह्नित है, को राज्य सरकार के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या धारा 3 के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध, प्रस्तुत या अद्यतन की गई सूचना को सहायक ऐसे दस्तावेजों या रिकार्ड को जारी करने हेतु विधि द्वारा या के अधीन शक्तियों से निहित राज्य सरकार का सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज में संशोधन या आगे अद्यतन करवाने या प्रस्तुत करने के लिए परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्य, जिससे सूचना सम्बंधित है, को संसूचित किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण, उप–धारा (1) में अधिसूचित रीति में, उप–धारा (3) के अधीन संशोधित या आगे अद्यतन की गई सूचना या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रमाणीकरण हेतु आगे कार्रवाई करेगा तथा उप–धारा (2) में यथा उपबंधित अनुसार कार्य करेगा।
- 5. (1) किसी परिवार को जारी की गई परिवार पहचान संख्या, विशिष्ट होगी तथा किसी अन्य परिवार को पुनः आंबटित नहीं की जाएगी।

परिवार पहचान संख्या।

- (2) परिवार पहचान संख्या, प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित पद्धित को अपनाने वाले अक्षरांकीय वर्णों का रैन्डम सैट होगी तथा धारा 3 के अधीन परिवार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के गुणों से कोई सम्बंध नहीं रखेगी।
- 6. (1) धारा 3 के अधीन प्रत्येक परिवार द्वारा उपलब्ध, अद्यतन, प्रस्तुत या संशोधित करवाई गई सूचना तथा धारा 4 के अधीन प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित प्रमाणीकरण या अधिप्रमाणन की स्थिति, परिवार सूचना डाटा कोष का गठन करेगी।

परिवार सूचना डाटा कोष।

- (2) परिवार सूचना डाटा कोष में किसी परिवार की सूचना, जो धारा 4 के अधीन प्रमाणित या अधिप्रमाणित की गई है, ऐसी अन्य शर्तों, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा या के निमित्त किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता के अवधारण या के उपबंध के प्रयोजनार्थ किसी अतिरिक्त प्रलेखन या सबूत के बिना निर्णायक सबूत के रूप में स्वीकार की जा सकती है।
- 7. प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, परिवार पहचान संख्या धारक से, समय—समय पर, परिवार सूचना डाटा कोष में सूचना की निरन्तर यथार्थता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सूचना को अद्यतन या संशोधित करने की अपेक्षा कर सकता है।

सूचना को अद्यतन या संशोधित करने की अपेक्षा।

8. राज्य सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या के निमित्त किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित की गई किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता अवधारण हेतु या के उपबंधकी अपेक्षा के रूप में, ऐसे डाटा क्षेत्रों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तथा धारा 4 में निर्दिष्ट रीति में प्रमाणित किए जाएं, सिहत परिवार पहचान संख्या के निदेश कर सकती है:

परिवार पहचान संख्या की अपेक्षा।

परन्तु यदि किसी स्कीम, लाभ, सब्सिडी या सेवा के लिए आवेदक परिवार पहचान संख्या नहीं रखता है तथा अन्यथा से ऐसी स्कीम, लाभ, सब्सिडी या सेवा को प्राप्त करने हेतु पात्र है, तो राज्य सरकार निदेश कर सकती है कि ऐसी स्कीम, सब्सिडी, सेवा या लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे लाभार्थी द्वारा ऐसे वैकल्पिक साधन, जो विहित किए जाए, द्वारा उपलब्ध करवाए गए डाटा को प्रमाणित या अधिप्रमाणित किया जाए तथा ऐसे साधनों में, यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश करे, इस प्रकार उपलब्ध करवाए गए डाटा के अधिप्रमाणन या प्रमाणन हेत् ऐसे आवेदन द्वारा अतिरिक्त फीस का भृगतान शामिल है।

जन्म, मृत्यु तथा विवाह के डाटा के रख—रखाव का उत्तरदायित्व।

- 9. (1) परिवार सूचना डाटा कोष में रखी गई सूचना को सक्रिय रूप से अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को तत्समय लागू किसी विधि के अधीन इलेक्ट्रोनिक रूप में पंजीकृत जन्म, मृत्यु तथा विवाह के डाटा के रख—रखाव का उत्तरदायित्व सौंपेगी तथा प्राधिकरण ऐसे डाटा को परिवार पहचान संख्या से जोड़ने को सुव्यवस्थित करने तथा रख—रखाव करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) उप—धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार तथा हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 6) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना।

- 10. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण कहे जाने वाले प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
- (2) प्राधिकरण उक्त नाम से, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा जिसे इस अधिनियम उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल तथा अचल दोनों सम्पत्तियों को अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद चला सकेगा या जिसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।
 - (3) प्राधिकरण का ऐसे स्थान, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, पर इसका मुख्यालय होगा।
- (4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा राज्य में अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय स्थापित कर सकती है।

प्राधिकरण का गठन।

- 11. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:--
 - (क) अध्यक्ष के रूप में मुख्य मंत्री ;
 - (ख) उपाध्यक्ष ;
 - (ग) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पदेन ;
 - (घ) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, जैसी भी स्थिति हो, पदेन ;
 - (ड) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो, पदेन ;
 - (च) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, मानव संसाधन सूचना विभाग, जैसी भी स्थिति हो, पदेन ;
 - (छ) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जो प्रधान सचिव से नीचे की पदवी के न हो और दो से अधिक न हो, जिन्हें राज्य सरकार,समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, पदेन ;
 - (ज) पांच से अनधिक ऐसे विशेषज्ञ, जो राज्य सरकार, समय—समय पर, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, डाटा विश्लेषण, डाटा सुरक्षा, डाटा प्रबंधन, डाटा भन्डारकरण, निजता या संविधानिक विधि, वित्त तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट करे ;
 - (झ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य सचिव।

उपाध्यक्ष की योग्यताएं, पदावधि तथा नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते।

- 12. (1) उपाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन, महत्वपूर्ण डाटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा में विशेष ज्ञान तथा अनुभव सिहत सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उद्योग या सरकार इसके मुख्य कार्यकारी या मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी या इसके समकक्ष के रूप में संगठन का मुखिया रहते हुए कम से कम पच्चीस वर्ष के निदर्शन अनुभव सिहत सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विख्यात विशेषज्ञ रहे व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) उपाध्यक्ष, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा तथा एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा।
- (3) उपाध्यक्ष, राज्य सरकार को कम से कम तीस दिन का नोटिस देते हुए अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखित में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
- (4) उपाध्यक्ष को भुगतानयोग्य पारिश्रमिक तथा भत्ते और सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

- 13. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते सदस्यों को भत्ते। प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं।
- (2) जब कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करने के कारण प्राधिकरण का सदस्य बनता है या को नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो वह ऐसे पद पर नहीं रहने के यथाशीघ्र, प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा।
- (3) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखित में अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए पद से त्यागपत्र दे सकता है।
- 14. (1) प्राधिकरण, ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगा तथा उप—धारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन बैठकों के संचालन तथा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

प्राधिकरण की बैठकें।

- (2) अध्यक्ष या यदि किसी कारण से, वह किसी कारण, जो भी हो, से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो जाता है, उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (3) बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मतों की समानता की दशा में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णायक मत होगा।
- (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्राधिकरण की बैठकों का रिकार्ड रखेगा।
- 15. (1) राज्य सरकार, किसी अधिकारी, जो सरकार के सचिव की पदवी अथवा समकक्ष से नीचे का न हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और निबंधन तथा शर्तें।

- (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण की निधि में से ऐसा वेतन तथा ऐसे भत्ते तथा ऐसी अन्य सुविधाएं, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, अवधारित किए जाएं, प्राप्त करेगा।
- (3) जब मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाश पर हो, या किसी भी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार उसकी वापसी तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।
- 16. (1) प्राधिकरण, ऐसी रीति में तथा ऐसी योग्यताओं सहित, जो विहित की जाएं, प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है,

प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य सदस्य।

- (2) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मयारियों को भुगतान योग्य वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
- (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसी अस्थाई अवधि के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जो वह प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- 17. (1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनाने वाली एक कार्यकारी समिति होगी, अर्थात् :--

कार्यकारी समिति का गठन।

- (क) उपाध्यक्ष
- (ख) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, जैसी भी स्थिति हो, पदेन;
- (ग) धारा 11 के खण्ड (ज) के अधीन, नामित व्यक्तियों में से दो से अनधिक विशेषज्ञ;
- (घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- (2) कार्यकारी समिति के सभी निर्णयों का वही प्रभाव होगा मानों इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा लिया गया हो।
- (3) कार्यकारी समिति का प्रत्येक निर्णय, प्राधिकरण के सम्मुख रखा जाएगा तथा प्राधिकरण को ऐसे निर्णय को रूपांतरित करने, सं गोधन करने तथा विखण्डित करने की शक्ति होगी, और उसके बाद, केवल ऐसी संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो; तथापि, ऐसा कोई भी रूपांतर या विलोपन, पूर्व में की गई किसी भी बात की वैद्यता पर प्रतिकूल के बिना होगा।
- **18.** (1) प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों को छोड़कर, कार्यकारी समिति को अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है, —

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

- (क) धारा 28 के अधीन प्राधिकरण के बजट का अनुमोदन करना या संशोधित करना ;
- (ख) धारा 46 के अधीन कोई विनियम बनाने, संशोधित करने या निरसन करने।

प्राधिकरण के कार्यकलापों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन।

- 19. (1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण के कार्यकलापों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन और प्रशासकीय नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा।
- (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी अधिकारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जो अवधारित की जाएं, के अध्यधीन अपनी ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है:

परन्तु प्रत्यायोजन का प्रत्येक ऐसा आदेश और ऐसे प्रत्यायोजन के निबंधन और शर्तें, प्राधिकरण के सम्मुख रखी जाएंगी।

विशेषज्ञों तथा पेशेवरों के नियोजन की शक्ति। 20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे भत्तों तथा परिश्रमिक और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, यथा अपेक्षित ऐसे परामर्शीदाताओं, सलाहकारों तथा प्रौद्योगिक पेशेवरों को नियोजित कर सकता है।

रिक्तियों इत्यादि से कार्यवाहियों का अविधिमान्यकरण।

- 21. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, निम्नलिखित कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी,—
 - (क) प्राधिकरण में किसी रिक्ति, या के गठन में कोई त्रुटि;
 - (ख) उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रृटि; अथवा
 - (ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

हित के विरोध का बचाव। 22. प्राधिकरण की बैठकों में विचारण के लिए आने वाले किसी मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, चाहे धन संबंधी या अन्यथा हो, रखने वाला प्राधिकरण का कोई सदस्य, ऐसी बैठक में अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उस मामले के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार विमर्श या निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा।

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कृत्य।

- 23. (1) प्राधिकरण, परिवारों की पहचान पत्र संख्या सृजित करने तथा जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी का विकास करेगा।
- (2) प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट डाटा फील्ड के रूप में परिवार तथा इसके सदस्यों की सूचना को संग्रहण करने, अपडेट करने, प्रबन्धन करने तथा रख रखाव करने और ऐसी जानकारी को अधिप्रमाणित या प्रमाणित करने के लिए तंत्र, प्रक्रिया और प्रणाली को विकसित तथा लागू करने की शक्ति होगी।
- (3) जहां राज्य सरकार द्वारा धारा 8 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, तो प्राधिकरण को राज्य सरकार के संबंधित विभाग या सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे लाभ, सब्सिडी, स्कीम या सेवा उपलब्ध करवाने वाले राज्य सरकार के उस विभाग या अभिकरण का प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित तथा धारित डाटा के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और डाटा मानक परिभाषित करने के लिए निर्देश देने की शक्ति होगी।
- (4) प्राधिकरण राज्य सरकार के किसी विभाग या सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा किसी लाभ, सब्सिडी, स्कीम या सेवा तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के उदग्रहरण के प्रयोजनार्थ संगृहीत या धारित सूचना के संबंध में अधिप्रमाणित तथा सत्यापित करेगा।
- (5) प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपबन्धित या कार्यान्वित किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ हेतु पात्रता निर्धारण या के उपबन्ध के प्रयोजनार्थ और अन्य प्रयोजनार्थ जिनके लिए परिवार पहचान संख्या का उपयोग किया जा सकता है, के पास परिवार पहचान संख्या के उपयोग की रीति, डाटा मानक, प्रौद्योगिकी प्रणाली और संबंधित प्रक्रिया और परिवार सूचना डाटा कोष में दी गई सूचना को निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी।
- (6) प्राधिकरण से परिवार सूचना डाटा कोष के संबंध में उन द्वारा धारित डाटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, प्रौद्योगिकी रक्षा तथा नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तथा मानक तैयार करने, विकसित करने तथा नीति बनाने की अपेक्षा की जाएगी।
- (7) प्राधिकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 18) तथा हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 6) के अधीन अनुरक्षित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा रखे गए जन्म, मृत्यु तथा विवाह के डाटा को परिवार सूचना डाटा कोष के एकीकृत तथा अद्यतन को सुनिश्चित करेगा।
- (8) प्राधिकरण, राज्य सरकार के निर्देश पर, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए ऐसे भूमि रिकार्ड और सम्पत्ति रिकार्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भूमि रिकार्ड के साथ परिवार सूचना डाटा कोष का एकीकरण और अद्यतन सुनिश्चित करेगा।

- (9) प्राधिकरण इसके द्वारा धारित सूचना के संबंध में डाटा विश्लेषण द्वारा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का सहयोग करेगा तािक राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, हरियाणा राज्य के व्यक्तियों के कल्याण के लिए नितियां, स्कीमें, सेवाएं, लाभ या सब्सिडी को तैयार करने तथा लागू करने में सक्षम बन सके।
- (10) इस धारा की पूर्वगामी उप—धारा में बताई गई शक्तियों तथा कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्य बातों के साथ—साथ प्राधिकरण की शक्तियां तथा कृत्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :-
 - (क) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, परिवार सूचना डाटा कोष के लिए अनुरक्षित अपेक्षित सूचना में जानकारी विनिर्दिष्ट करना;
 - (ख) परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने वाले किसी परिवार से सूचना एकत्रित करना;
 - (ग) परिवारों के लिए पहचान संख्या सृजित करना तथा आबंटित करना;
 - (घ) परिवार सूचना डाटा कोष में सूचना का अधिप्रमाणिकरण तथा प्रमाणिकरण करना;
 - (ड) परिवार सूचना डाटा कोष में सूचना का रख रखाव तथा अद्यतन करना;
 - (च) परिवार पहचान संख्या तथा उससे संबंधित सूचना को ऐसे मामलों तथा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निष्क्रिय करना;
 - (छ) राज्य सरकार या उसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान या कार्यान्वित की गई किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ हेतु पात्रता का अवधारण या के उपबन्ध तथा अन्य उद्देश्य, जिनके लिए परिवार पहचान संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है, के प्रयोजनार्थ परिवार पहचान संख्या के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करना;
 - (ज) परिवार सूचना डाटा कोष की स्थापना, संचालन तथा रखरखाव करना;
 - (झ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अध्यधीन राज्य सरकार या उसकी ओर से किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान या कार्यान्वित की गई किसी स्कीम, सेवा, सब्सिडी या लाभ हेतु पात्रता का अवधारण या के उपबन्ध तथा अन्य उद्देश्य, जिनके लिए परिवार पहचान संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है, के प्रयोजनार्थ परिवार पहचान संख्या धारकों की सूचना तथा परिवार सूचना डाटा कोष में निहित सूचना को साझा करना;
 - (ञ) इस अधिनियम के अधीन डाटा प्रबन्धन, डाटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रौद्योगिक सुरक्षा से संबंधित प्रक्रिया को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;
 - (ट) विद्यमान परिवार पहचान संख्या धारकों को नई परिवार पहचान संख्या जारी करने के लिए शर्तें तथा प्रक्रिया को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;
 - (ठ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन करने में प्राधिकरण की सहायता के लिए ऐसी समितियों का गठन करना, जो आवश्यक हों;
 - (ड) शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण यन्त्र की स्थापना करना;
 - (ढ) ऐसी अन्य शक्तियां तथा कृत्य, जो विहित की जाएं।
- (11) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर या उसके पूर्व अनुमोदन से ऐसी सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित या पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए सूचना के प्रमाणिकरण या अधिप्रमाणन सहित परिवार पहचान संख्या के उपयोग का विस्तार कर सकती है।
- 24. (1) परिवार पहचान प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निधि। निम्नलिखित जमा किया जाएगा:—
 - (क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा सभी अनुदान फीस तथा प्रभार प्राप्त किए और
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोत, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, से प्राप्त की गई सभी धन—राशियाँ।
 - (2) निधि निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त की जाएंगी,-
 - (क) उपाध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान योग्य पारिश्रमिक और अन्य भत्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भुगतान योग्य वेतन और अन्य भत्ते तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या के संबंध में भुगतान योग्य वेतन, भत्ते और पेंशन सहित प्रशासकीय व्यय: तथा
 - (ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय।

वार्षिक अनुदान, ऋण तथा अग्रिम। 25. राज्य सरकार, ऐसे निबन्धन और शर्तों, जो वह उचित समझे, पर प्राधिकरण को वार्षिक रूप से धन की ऐसी धन राशियों के अनुदान, ऋण या अग्रिम दे सकती है, जो सरकार आवश्यक समझे, दे सकती है तथा इस प्रकार दिए गए सभी अनुदान, ऋण तथा अग्रिम पर होंगे;

उधार लेने की शक्ति। 26. प्राधिकरण, समय—समय पर, राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से सामान्य या विशिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, पर ऋण, बॉन्ड या डिबैंचरों या अन्य लिखतों के रूप में धन उधार ले सकता है।

निवेश करने की शक्ति। 27. प्राधिकरण को ऐसे निवेशों में अपनी निधियों के किसी भाग को निवेश करने की शक्ति होगी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए।

बजट।

- 28. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्त वर्ष के संबंध में बजट, प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्राधिकरण, उप—धारा (1) के अधीन प्रस्तुत बजट, ऐसे उपांतरणों तथा संशोधनों, जो वह विनिश्चित करें, के अध्यधीन का अनुमोदन करेगा।
- (3) प्राधिकरण द्वारा यथा उपांतरित या संशोधित बजट, राज्य सरकार को अधिप्रमाणित प्रतियों की ऐसी संख्या, जो सरकार द्वारा अपेक्षित हों, सहित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
- (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा यथा उपांतरित या संशोधित बजट को प्राधिकरण की वेबसाइट पर डलवाएगा।

लेखा तथा लेखा—परीक्षा।

- 29. (1) प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य संबंधित अभिलेख बनाए रखेगा और तुलनपत्र सहित लेखों की वार्षिक विवरणी ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में तैयार करेगा।
- (2) प्राधिकरण के लेखे, महालेखाकार, हरियाणा द्वारा वार्षिक लेखा—परीक्षा के अध्यधीन होंगे और ऐसी लेखा—परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, प्राधिकरण द्वारा महालेखाकार, हरियाणा को भुगतान योग्य होगा।
- (3) महालेखाकार, हरियाणा तथा प्राधिकरण के लेखों की लेखा—परीक्षा के संबंध में उस द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो महालेखाकार, हरियाणा को सरकारी लेखों की लेखा—परीक्षा के संबंध में है और विशेषतया प्राधिकरण की बहियों, लेखों, संबंधित वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और पेपरों को प्रस्तुत करने की मांग और कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) महालेखाकार हरियाणा या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखों के साथ—साथ उस पर लेखा—परीक्षा रिपोर्ट, और इस प्रकार की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियां पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और राज्य सरकार उसकी एक प्रति हरियाणा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रिपोर्ट रखे जाने के बाद, प्राधिकरण के लेखों के साथ–साथ लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राधिकरण की वैबसाइट पर डलवाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

30. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रति वर्ष उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता।

- **31.** (1) प्राधिकरण, इसके द्वारा अनुरक्षित डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण इसके द्वारा अनुरक्षित परिवारों के डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।
- (3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि परिवार सूचना डाटा कोष में संगृहीत सूचना सहित प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में डाटा अप्राधिकृत पहुँच, उपयोग या प्रकटीकरण और आकस्मिक या ज्ञानकृत विनाश, हानि या क्षति से सुरक्षित और संरक्षित है।
 - (4) उप–धारा (1) या (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण–
 - (क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अपनाएगा और कार्यान्वित करेगा।
 - (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण के किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त या नियोजित कोई व्यक्ति उचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगा।

- (ग) सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति के साथ किया गया करार या व्यवस्था, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण पर अधिरोपित बाध्यताओं के समकक्ष बाध्यताएं अधिरोपित करना, तथा ऐसे व्यक्ति से केवल प्राधिकरण की हिदायतों पर कार्य करने या प्राधिकरण द्वारा या की ओर से प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा करेगा।
- (5) तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, तथा इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाए, प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, चाहे अपनी सेवा के दौरान या उसके बाद, राज्य सरकार द्वारा योजना या मूल्यांकन के प्रयोजनों के सिवाए किसी सब्सिडी, स्कीम, सेवा या लाभ के लिए पात्रता अवधारण या के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए किसी को भी परिवार सूचना डाटा कोष में संगृहीत किसी डाटा या अधिप्रमाणित रिकार्ड प्रकट नहीं करेगा।
- (6) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा परिवार सूचना डाटा कोष में संगृहीत, प्रमाणित अधिप्रमाणित या सृजित सूचना केवल ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (7) प्राधिकरण द्वारा परिवार सूचना डाटा कोष में संगृहीत, प्रमाणित, अधिप्रमाणित या इस अधिनियम के अधीन सृजित किसी परिवार की कोई भी सूचना, प्रयोजनों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं के सिवाय, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या चिपकाई नहीं जाएगी।
- 32. जो कोई भी, किसी अन्य व्यक्ति, चाहे मृत या जीवित, की जानबूझकर वास्तविक और काल्पनिक कोई मिथ्या सूचना उपलब्ध करवाते हुए प्रतिरूपण करता या प्रतिरूपण करवाने का प्रयास करता है, तो वह कारावास की ऐसी अविध, जो तीन वर्ष तक बढाई जा सकती है, या ऐसे जुर्माने, जो पचास हजार रूपए तक बढाया जा सकता या दोनों से दण्डनीय होगा।

प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

33. जो कोई भी, परिवार पहचान संख्या धारक को हानि पहुंचाने या अनिष्ट करने का आशय करता है या किसी अन्य व्यक्ति, मृत या जीवित, वास्तविक या काल्पनिक सूचना में प्रतिरूपण करते हुए अथवा प्रतिरूपण करने का प्रयास करते हुए, किसी परिवार पहचान संख्या धारक की किसी सूचना में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वह कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा तथा जुर्माने, जो पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए भी दायी होगा।

सूचना में परिवर्तन द्वारा परिवार पहचान संख्या धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्ति।

34. जो कोई भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सूचना संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं होते हुए, शब्दों, आचरण या व्यवहार से दावा करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, तो वह कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा जुर्माने, जो एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा, या किसी कम्पनी के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध करने के समय पर कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी था, तथा के लिए जिम्मेवार था, कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा जुर्माने, जो दस लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

सूचना का संग्रहण करने के लिए प्राधिकार के प्रतिरूपण का दावा करने के लिए शास्ति।

- 35. जो कोई भी, प्राधिकरण से प्राधिकृत नहीं होते हुए, जानबूझकर,-
 - (क) परिवार सूचना डाटा कोष में पहुंचता है या पहुंच सूनिश्चित करता है;
 - (ख) परिवार सूचना डाटा कोष या किसी स्थानान्तरणीय संग्रहण माध्यम से रखी गई सूचना से कोई डाटा डाउनलोड करता है, प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करता है;
 - (ग) परिवार सूचना डाटा कोष में कोई वायरस या अन्य कम्पयूटर संदूषण समाविष्ट करता है अथवा समाविष्ट करवाता है ;
 - (घ) परिवार सूचना डाटा कोष में डाटा को नष्ट करता है या नष्ट करवाता है;
 - (ड़) परिवार सूचना डाटा कोष में पहुंच के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है या व्यवधान उत्पन्न करवाता है:
 - (च) किसी व्यक्ति की पहुंच से इनकार करता है या पहुंच से इनकार करवाता है, जो परिवार सूचना डाटा कोष में पहुंच के लिए प्राधिकृत है;
 - (छ) धारा 31 की उप–धारा (5) की उल्लंघना में कोई सूचना प्रकट करता है, या धारा 31 की उप–धारा (7) की उल्लंघना में सूचना साझी करता है, उपयोग करता है या प्रदर्शित करता है या उपरोक्त वर्णित कोई कार्य करने में किसी व्यक्ति की सहायता करता है;

परिवार पहचान डाटा कोष तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति।

- (ज) किसी स्थानान्तरणीय भण्डार मीडिया में या परिवार सूचना डाटा कोष में एकत्रित किसी सूचना को नष्ट करता है, मिटाता है या बदलता है या इसके महत्व या उपयोगिता को कम करता है या इसे किसी साधन द्वारा हानिकारक रूप से प्रभावित करता है; अथवा
- (झ) हानि पहुंचाने के आशय से, प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कम्पयूटर स्त्रोत कोड को चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है या बदलता है या किसी व्यक्ति से चोरी करवाता है, छिपवाता है, नष्ट करवाता है या बदलवाता है, तो

वह कारावास की ऐसी अवधि, जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा तथा जुर्माने, जो पचास लाख रूपए से कम नहीं होगा, के लिए भी दायी होगा।

व्याख्या :— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कम्पयूटर संदूषण", "कम्पयूटर वायरस" तथा "क्षति" अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उन्हें सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 43 की व्याख्या में दिया गया है तथा "कम्पयूटर स्त्रोत कोड" का अर्थ उक्त अधिनियम की धारा 65 की व्याख्या में इसे दिया गया होगा।

डाटा से छेड़छाड़ करने हेतू शास्ति। 36. जो कोई भी, जिसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है, पारिवारिक सूचना डाटा कोष या किसी स्थानान्तरणीय भण्डार मीडिया में सूचना को रूपांतरित करने या उसकी किसी सूचना को खोजने के आशय से डाटा का प्रयोग करता है या उससे छेड़छाड़ करता है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है।

सामान्य शास्ति।

37. जो कोई भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन कोई अपराध करता है, जिसके लिए किसी विशेष शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, कारावास की ऐसी अविध, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या किसी कम्पनी की दशा में, जुर्माना, जिसे पचास लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा किए गए अपराध। 38. जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमित से या मौनानुकूलता से किया गया है या किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध के किए जाने के लिए दोषी होंगे तथा तद्नुसार मुकदमा चलाए जाने तथा दण्ड के लिए दायी होंगे:

परन्तु इस उप—धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में दिए गए किसी दण्ड के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था यह कि उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी प्रकार की तत्परता दिखाई थी।

अन्य दण्डों में शास्तियों का हस्तक्षेप न होना। 39. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य शास्ति या दण्ड लगाए जाने का निषेध नहीं करेगी।

अपराधों का संज्ञान। **40.** कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या किसी अधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

लोक सेवक।

41. इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में, कार्यकारी या कार्य करने के लिए तात्पर्यित, प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत, लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

राज्य सरकार की निर्देश जारी करने की शक्तियां। **42.** (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या इसके कृत्यों का निर्वहन करते हुए पॉलिसी के दृष्टिगत, ऐसे निर्देशों, जो सरकार इसे, समय—समय पर लिखित रूप में दे, से बाध्य होगा :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई भी निर्देश देने से पहले, जहां तक सम्भव हो, प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह कि इस धारा की कोई भी बात, प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक मामलों में, सरकार को निर्देश देने में, समर्थ नहीं बनाएगी।

(2) सरकार का निर्णय, चाहे मामला पॉलिसी से सम्बन्धित हो या नहीं, अन्तिम होगा।

43. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या प्राधिकरण के विरूद्ध, किसी भी कार्य, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया है या करने का इरादा था, के लिए नहीं की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

44. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक न होना।

45. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सम्मुख रखे जाएंगे।
- **46.** (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम से संगत विनियम बना सकते हैं।

विनियम बनाने की

- (2) इस अधिनियम के अधीन अनाए गए प्रत्येक विनियम, इसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सम्मुख रखे जाएंगे।
- 47. (1) यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, राजपत्र में प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुअसंगत ऐसे प्रावधान करेगी, जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु, इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन, ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया कोई भी आदेश, इसके पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।
- 48. हरियाणा सरकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, अधिसूचना संख्या 1/30/2020— व्यावृत्ति। 1सी०आर०आई०डी०, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई भी कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

- (1) लाभों, सब्सिडियों, स्कीमों तथा सेवाओं के लाभार्थियों तथा प्राप्तिकर्ताओं की पहचान करना राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है। अपात्र लाभार्थी समाज के विभिन्न खण्डों पर सरकार सहायक लक्ष्यों के प्राप्तिकर्ता हैं जबिक अन्यथा पात्र लाभार्थियों की उपेक्षा की जाती हैं। जबिक आधार ने लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने में सहायता की है, किन्तु इसने लाभों, सब्सिडी, स्कीमों तथा सेवाओं के परिदान या सेवाओं के प्रावधानों में लाभार्थियों की पात्रता के उचित तथा सही अवधारण में सहायता नहीं की है। समस्या संयोजित है, चूंकि प्रत्येक स्कीम, सब्सिडी या सेवा अपनी स्वयं की निर्धारित पात्रता शर्तों के साथ आती हैं जो तात्विक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती है। लाभार्थियों को लक्ष्यित करना भी प्रभावित हुआ है, चूंकि प्रत्येक स्कीम सब्सिडी लाभ या सेवा शुरूआती पात्रता को विनिर्दिष्ट करती है तथा प्रारम्भ में समान रूप से सभी लाभार्थियों पर विचार करती है जबिक, अन्तोदय का सही उद्देश्य अर्थात् गरीब से गरीब तक पहुंच के लिए सबसे जरूरतमंद यद्यपि पात्रता के शुरूआती स्तरों में भी सूक्ष्म स्तरीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आगे, सरकार का प्रत्येक विभाग या प्रत्येक सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं का डाटाबेस सृजित करती है तथा पृथक रूप से अनुरक्षित डाटा में तात्विक असंगतियाँ हैं जो लाभों, सब्सिडियों, स्कीमों तथा सेवाओं के परिदान में जटिलताओं की ओर ले जाती है। सरकार के प्रत्येक विभाग या प्रत्येक सरकार अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की प्रत्येक स्कीम या सेवा लाभार्थी या प्राप्तिकर्ता पर भार रखते हुए पात्रता शर्तों को सिद्ध करने हेतु दस्तावेजों या सबूत की मांग करती है। लाभार्थी या प्राप्तिकर्ता की पहचान करने हेतु विश्वसनीय तथा अधिप्रमाणित पद्धित के अभाव में यह सुनिश्चित करना कठिन है कि सब्सिडियों, लाभ तथा सेवाएं लक्ष्यित या आश्यित या सही रूप में पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे।
- (2) प्रौद्योगिकी में उन्नित से लाभों, सब्सिडियों, स्कीमों तथा सेवाओं या नागरिकों को सेवाओं के प्रावधानों में लाभार्थियों की पात्रता के उचित निर्धारण पर विशिष्ट रूप से लक्ष्य रखते हुए, सुशासन को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रयोग करना सम्भव हो गया है, "न्यूनतम सरकार", "अधिकतम शासन" के सूत्र भी स्कीमों, सब्सिडियों, लाभों तथा सेवाओं के परिदान के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त सूचना के किसी अधिप्रमाणित मेटा डाटा को सृजन करते हुए प्राप्त किये जा सकते हैं। सुशासन के माध्यम से प्रादर्शिता तथा आसान जीवन को दस्तावेजों की आवश्यकता, उत्पीड़न तथा किसी सब्सिडी, स्कीम, लाभ या सेवा में देरी को कम करके सरकार के बीच एकीकृत डाटा शेयरिंग पद्धित द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- (3) परिवार पहचान संख्या प्रत्येक परिवार के लिए विशिष्ट पहचान है, जिसमें अक्षरांकीय वर्णों के विशिष्ट सेट शामिल है तथा जिससे ऐसे डाटा क्षेत्रों, जो सामान्यतः लाभार्थियों की पहचान या पात्रता के निर्धारण या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन तथा निमन्त्रणाधीन किसी संगठन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः या भागतः प्रस्तुत या निधीयन की गई किसी स्कीम, सेवा, लाभ या सब्सिडी के प्रावधानों के लिए अपेक्षित हों, से बनी सूचना शामिल है। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी सूचना परिवार के मुखिया या परिवार के किसी वयस्क सदस्य द्वारा स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। परिवार पहचान संख्या से जुड़ी प्रत्येक डाटा फील्ड अन्य उपलब्ध सटीक तथा विश्वसनीय डाटाबेस से जाँच करके इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से या भौतिक सत्यापन, जहाँ यह इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा अधिप्रमाणित करना संभव न हो, द्वारा अधिप्रमाणित तथा सत्यापित किया जायेगा, एक बार अधिप्रमाणित तथा सत्यापित सूचना किसी और दस्तावेजीकरण या सबूत के बिना लाभार्थियों की पहचान या पात्रता के निर्धारण या सेवा, लाभ या सब्सिडी के लिए अपने आप से आधार बनायेगी। परिवार पहचान संख्या राज्य सरकार, सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण के सभी डाटाबेसों को जोड़ने के लिए संदर्भ पूंजी होगी।
- (4) राज्य में रहने वाले परिवारों को, परिवार पहचान संख्या बनाने और जारी करने या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के विकास के लिए परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्राधिकरण, परिवार और उसके सदस्यों की जानकारी (सूचना) को परिवारिक सूचना डाटा कोष में निर्दिष्ट डाटा क्षेत्रों में एकत्र, अद्यतन, प्रबंध तथा बनाए रखेगा और ऐसी सूचना को प्रमाणित करने या सत्यापित करने के लिए तन्त्र, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को विकसित और कार्यान्वित करेगा । यह, सभी सरकारी विभागों, सरकारी अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को, लाभार्थियों की पहचान या पात्रता के निर्धारण या किसी योजना, सेवा, लाभ या सब्सिडी के प्रावधानों के लिए परिवार पहचान संख्या के आधार पर सत्यापित और प्रमाणित डाटा उपलब्ध करेगा। यह, परिवारिक सूचना डाटा कोष में, इसके पास रखी गई सूचना और डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता भी बनाए रखेगा।
- (5) परिवार पहचान, पहचानकर्ता, लाभार्थी या प्राप्तकर्ता को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना, सक्रिय वितरण को सक्षम कर सकता है। यह दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के बोझ को कम करेगा और "न्यूनतम सरकार—अधिकतम शासन" के नारे को बढ़ावा देने वाली स्कीमों, सेवाओं, सब्सिडी तथा लाभों के किसी भी समय और कहीं भी पहचान रहित और अज्ञात वितरण को सक्षम करेगा। पारदर्शिता और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों में पात्रता के निर्धारण में, व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
 - (6) परिवार पहचान विधेयक, 2021 अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित प्रयास करता है:—
 - (क) विनिर्दिष्ट डाटा क्षेत्र की बनाई गई जानकारी उपलब्ध करवाते हुए किसी परिवार को परिवार पहचान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाता है;
 - (ख) सूचना के प्रत्येक डाटा क्षेत्र को सत्यापित करने या प्रमाणित करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है और उससे आनुषंगिक कार्रवाई करें;

- (ग) पात्रता निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान संख्या प्रदान किए जाने की आवश्कता के लिए या किसी भी लाभ, सब्सिडी, स्कीम या सेवा के उपबंधों द्वारा या प्रदान किया गया, राज्य सरकार या उसके स्वामित्व और नियंत्रणाधीन किसी भी संगठन की ओर से राज्य सरकार और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा;
- (घ) परिवार पहचान संख्या से जुड़ी सूचना के सत्यापन के प्रमाणिकरण को, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी संगठन तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी सरकार, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को लाभ, सब्सिडी, स्कीम या सेवा उपलब्ध करवाने में समर्थ बनाने के लिए सूचना उपलब्ध करवाना;
- (ङ) उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में परिवार पहचान प्राधिकरण की स्थापना करना और प्राधिकरण को एकत्रित करने, अद्यत करने, ठीक करने, सत्यापित करने, प्रमाणित करने और परिवार सूचना डाटा कोष में सूचना को बनाए रखने में समर्थ बनाना;
- (च) परिवार पहचान प्राधिकरण को, परिवार सूचना डाटा कोष में सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए समुचित उपाय करने का आदेश देता है;
- (छ) सम्बंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराधों तथा शास्तियों को विनिर्दिष्ट करता है। इसलिए यह बिल पेश है

	मनोहर लाल, मुख्य मन्त्री, हरियाणा।
चण्डीगढ़ : दिनांक 21 अगस्त, 2021.	आर० के० नांदल, सचिव।

प्रत्यायोजित विधान का ज्ञापन

- विधेयक का खंड 44 राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इन मामलों में, अन्य बातों के साथ, (ए) आवेदक जिसके पास परिवार पहुंचान संख्या नहीं है और अन्यथा ऐसी योजना, लाभ, सब्सिडी या सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है, द्वारा वैकल्पिक साधन से प्रदान किया गये डेटा को खंड (8) के परंतुक के तहत सत्यापित या प्रमाणित किया जाता है, (बी) उपाध्यक्ष को देय पारिश्रमिक एवं भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें खण्ड 12 के उपखंड (4) के तहत, (सी) प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को प्राप्त भत्ते खंड 13 के उपखंड (1) के तहत, (डी) प्राधिकरण की बैठकों के आयोजन और कारोबार के संचालन के लिए समय एवं स्थान और प्रक्रिया के नियमय खंड 14 के उपखंड (1) के तहत, (इ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकरण की बैठकों के अभिलेख रखे जाने का तरीका खंड 14 के उपखंड (4) के तहत, (एफ) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियक्ति की रीति और योग्यताएं खंड 16 के उपखंड (1) के तहत. (जी) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, देय वेतन एवं भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्ते खंड 16 के उपखंड (2) के तहत, (एच) किसी भी लाभ, सब्सिडी, योजना या सेवा के उददेश्य से एकत्र या धारित जानकारी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणीकरण या सत्यापन के लिए राज्य सरकार के किसी भी विभाग या सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण पर लगाया जाने वाला शुल्क खंड 22 के उपखंड (4) के तहत, (आई) प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कार्य खंड 22 के उपखंड (11) की मद (एन) के तहत, (जे) प्रपत्र जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट प्रस्तुत करेगा, खंड 27 के उपखंड (1) के तहत, (कें) प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले बैलेंस सीट सिहत खातों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र खंड 28 के उपखंड (1) के तहत, (एल) वह प्रपत्र जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा खंड 29 के तहत, (एम) कोई अन्य मामला जो आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में निमयों द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है, शामिल हैं।
- 2. विधेयक का खंड 45 परिवार पहचान प्राधिकरण को, अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित कानून के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है।
- 3. खंड 44 के उपखंड (2) और खंड 46 में प्रावधान है कि प्रस्तावित विधान के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।
- 4. जिन मामलों के संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकते हैं, वे प्रक्रिया या प्रशासनिक विवरण के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही प्रावधान करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन एक सामान्य व्यवहार है।